

प्रेस नोट

दिनांक 11.07.2024, थाना को0देहात

जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय मोटरसाइकिल चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से हाइसिक्वोरिटी नम्बर प्लेट बरामद:-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-124/24, धारा 379, 411, 413 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त 01. मनीष तिवारी पुत्र बनवारीलाल निवासी ख्वाजाजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को जमदरा जागापुरवा वाली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल की हाइसिक्वोरिटी नम्बर प्लेट बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री शिवम पुत्र श्री पातीराम निवासी खोरहंसा बाजार थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना दिये कि दिनांक 04.04.2024 को अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटरसाइकिल अपाची आरटीआर चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0-124/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मोटरसाइकिल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 11.07.2024 को पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अन्तर्जनपदीय मोटरसाइकिल चोर मनीष तिवारी पुत्र बनवारीलाल निवासी ख्वाजाजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को जमदरा जागापुरवा वाली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गई मोटर साइकिल की हाइसिक्वोरिटी नम्बर प्लेट बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 411, 413 भादवि की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मनीष तिवारी पुत्र बनवारीलाल निवासी ख्वाजाजोत थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 124/24, धारा 379, 411, 413 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद हाइसिक्वोरिटी नंबर प्लेट UP26AR1564(चोरी की गयी मोटरसाइकिल का)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी
02. हे0का0 कमलेश यादव
03. का0 शिवम
04. का0 अजय प्रताप सिंह

अभियुक्त मनीष तिवारी पुत्र बनवारीलाल का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 124/24 धारा 379,411,413, IPC थाना को0 देहात जनपद गोण्डा
2. मु0अ0सं0 143/24 धारा 411/413/414/420/467/468/471 IPC थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा
3. मु0अ0सं0 633/2023 धारा 379/411 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
4. मु0अ0सं0 640/2023 धारा 411/419/420/467/468/471 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा
5. मु0अ0सं0 641/2023 धारा 224 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
6. मु0अ0सं0 676/2023 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।
7. मु0अ0सं0 064/2021 धारा 392/411 IPC थाना कलक्टरगंज जिला पूर्वी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.07.2024, थाना खोड़ारे

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-152/24, धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र शंकर निवासी ग्राम कूकनगर ग्राण्ट (रामसहाय डीह) थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को चंदापुर कोडर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2024 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के रहने वाले एक महिला द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी मुकेश चौहान अपने सहयोगियों की मदद से उनकी पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र लवकुश चौहान निवासी ग्राम ललहा गोपियापुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.05.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. धर्मेन्द्र पुत्र शंकर निवासी ग्राम कूकनगर ग्राण्ट (रामसहाय डीह) थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-152/24, धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. का0मो0 सुमित वर्मा

02. का0 विजय कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.07.2024, थाना वजीरगंज

जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 233/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी०पी० एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता 01. श्रीमती विमला देवी पत्नी पुजारी यादव निवासी ग्राम गणेशपुर ग्रन्ट टोला कुडनिया थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2024 को वादी द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि मेरी लड़की को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 233/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी०पी० एक्ट बनाम रामदीन यादव आदि 03 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्ता 01. श्रीमती विमला देवी पत्नी पुजारी यादव निवासी ग्राम गणेशपुर ग्रन्ट टोला कुडनिया थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को आज दिनांक 11.07.2024 को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. श्रीमती विमला देवी पत्नी पुजारी यादव निवासी ग्राम गणेशपुर ग्रन्ट टोला कुडनिया थाना वजीरगंज जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 233/2024 धारा 498A, 304B आईपीसी व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि०रामकेश भारती
02. का० रूपेश पटेल
03. म०का० दीप्ति आनन्द

मीडिया सेल, गोण्डा